314

संख्या- /X-2-2013-12(28)/2012

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 23 सितम्बर, 2013

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-30 (अनुसूचित जनजाति उप योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष की पूंजीगत पक्ष की योजना ''बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण'' में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के पत्र सं0-नि-39/2-36(अनु0जा0उपयो0) दि0 06 जुलाई, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान संख्या-30 की आयोजनागत पक्ष की योजना **''बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण''** के पूँजीगत पक्ष में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष **₹ 100,00,000/- (₹ एक करोड़)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दि0-30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश सं0-413/XXVII(1)/2013 दि0-10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर हीं किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. धनराशि व्यय करने से पूर्व अनुमोदित दर अनुसूची आधार पर एवं जिन मामलों में दर अनुसूची नहीं है वहां न्यूनतम बाजार दर पर विस्तृत आंगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें।
3. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।.
5. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
6. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।

क्रमशः.......2.....

7. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

8. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

9. मानक मदों के आहरण प्रणाली के समबन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

10. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।

12. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

14. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1309300069 है। आप भी अपने स्तर से अधीनस्थ आहरण-वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।

15. योजना/परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसूचित जाति के स्थानीय निवासियों की सहभागिता सहित उक्त ग्रामों एवं समूहों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यकता अनुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)2011, दिनॉक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-30 के लेखा शीर्षक 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय 01-वानिकी 102-समाज तथा फार्म वानिकी 0300-बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक / योजना नाम	परिव्यय	आय-व्ययक 2013-14	पूर्व निर्गत वित्तीय स्वीकृति	शेष बजट	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति	अभ्युक्ति
	1	2	3	4	5	6	7
1-	अनुदान सं0-30 4406-वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी 102-समाज तथा फार्म वानिकी 03-बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण 24-वृहद् निर्माण	1200000	10000	-	10000	10000	कालम-2 में दर्शित परिव्यय में योजना के राजस्व पक्ष के आय-व्ययक ₹ 80 लाख के सापेक्ष परिव्यय भी सम्मिलित है।
	योग	120000	10000	-	10000	10000	

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ एक करोड़ मात्र)

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

संलग्नक-यथोपरि।

ब्या- 3854 (1)/x-2-2013, तद्दिनांकित.

तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोट
2. मैसर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड शिविर कार्यालय-देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
11. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
13. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
15. ग्रन्थारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

3854

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - /X-2-2013-12(28)/2012

अनुदान संख्या - 030

अलोटमेंट आई डी - S1309300069

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र दिनांक -23-Sep-2013

1: लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी एवं वन्य जीवों पर पूँजीगत परिव्यय

01 - वानिकी

102 - समाज तथा फार्म वानिकी

00 - बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण

03 - बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	10000000	10000000
	0	**10000000**	**10000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 10000000